न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–391/15 (आरसीएमएस नं. 2015/00017)

1. रूड़ीदेवी पत्नी श्री हनुमान सहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम चक़रोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. रामेश्वरी देवी पत्नी श्री गणपत पुत्री हनुमान सहाय, जाति जाट निवासी ग्राम मण्डा तन कालवाड़, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. लालीदेवी पत्नी श्री मोहनलाल पुत्री हनुमान सहाय, जाति जाट निवासी ग्राम मण्डा तन कालवाड़ तहसील आमेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. दीपू पुत्र श्री श्योजीराम, नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती नानूड़ी, जाति जाट, निवासी ग्राम साहिबरामपुर, तहसील चौमू जिला जयपुर हाल निवासी सारंग का बास, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
2. श्योजीराम पुत्र श्री हनुमान जाट निवासी ग्राम चकरोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर।

——प्रत्यर्थीगण

4. रामकिशोर पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम चकरोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——प्रारूपिक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 27.11.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ जयपुर के आदेश दिनांक 31.08.2015 (प्रकरण संख्या 57/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि लादूराम पुत्र कल्याण, जाति जाट निवासी ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर जिला जयपुर ने अपने आपको नाबालिंग बालक दीपू पुत्र श्योजीराम का प्राकृतिक संरक्षक नाना बताते हुए एक अपील संख्या 86/2002 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अभिकथन किया ग्राम चकरोजदा स्थित विवादित आराजी का खातेदार सूण्डा पुत्र श्योबक्स था जिसने अपनी आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.12.1992 को श्योजी पुत्र हनुमान को विक्रय करदी जिसका नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 05.02.1997 को क्रेता के पक्ष में स्वीकर हो गया गया, इसी दौरान भू प्रबन्ध कार्यवाही के कारण उक्त भूमि वापस सूण्डा पुत्र श्योबक्स के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई तथा वर्ष 1998 को सूण्डा की मृत्यु हेने पर उसकी विरासत का अन्तरण जरिये नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 16.09.1998 को मृतक की पत्नी श्रीमती भूरीदेवी पत्नी सूण्डा के नाम स्वीकार हो गया इसी दौरान श्योजीराम ने उक्त भूमि दीपू को विक्रय किया जाना

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अभिकथित किया किन्तु राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार भूरीदेवी को नाम अंकित होने से दीपू के नाम खातेदारी अंकित नही हो पाई, अपीलार्थी ने नामान्तरकरण संख्या 4 के वैधता का इस अपील में माध्यम से चुनौती दी जिस पर अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण की बहस सुन अपीलार्थी की अपील आंशिक तौर पर स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 4 सूण्डा की विरासत पर उसके वारिस प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में हुए नामान्तरकरण को निरस्त करते हुऐ प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित करने का निर्णय व आदेश दिनांक 16.12.2002 को पारित किया जिस पर प्रत्यर्थीगण ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई तथा उक्त अपील के निर्णय दिनांक 29.06.2009 को अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2002 निरस्त कर प्रकरण अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ जयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि राजस्व रिकार्ड की जॉच पश्चात् उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों का गलत अर्थान्वयन कर अपीलाधीन निर्णय व आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट दीपू नाबालिंग की ओर से लादूराम पुत्र कल्याण ने अपने आपको दीपू का प्राकृतिक संरक्षक होना अभिकथित करते हुए अपील प्रस्तुत की गई जबकि हिन्दू मईनोरिटी एवं गारजियंशीप एक्ट 1956 की धारा 6 के अनुसार अवयस्क लड़का/लड़की की सूरत में प्राकृतिक संरक्षक केवल पिता और उसके पश्चात् माता होती है, नाना प्राकृतिक संरक्षक माता, पिता के जीवित रहते हो ही नही सकता ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पोषनीय नही थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने नामान्तरकरण संख्या 4 को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहने के साथ ही स्वयं के हक में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 22 को बहाल किये जाने का अनुतोष भी चाहा गया जबकि कानूनन एक ही अपील में दो नामान्तरकरणों की वैधता को चुनौती नही दी जा सकती है ऐसी स्थिति में दो आदेशों के विरूद्ध एक अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कानूनन पोषनीय नही थीं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2015 पारित किया गया है जो विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त अपील से पूर्व आलौच्य आदेश की अपील व उससे पूर्व की कार्यवाही में रामकिशोर पुत्र हनुमान सहाय ही समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में भाग लेता था तथा अधिवक्तागण के सम्पर्क में भी वही रहता था, उक्त प्रकरण की शेष अपीलार्थीगण महिला है जिन्हे न्यायिक कार्यवाही का ज्ञान नही था परन्तु

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रामकिशोर पुत्र हनुमान सहाय ने रंजिश वश व अपीलार्थीगण से अलग आवास कर लेने से अपीलार्थीगण को आलौच्य आदेश दिनांक 31.08.2015 की जानकारी नही दी तथा न ही अधिवक्ता से सम्पर्क किया जब अपीलार्थी संख्या 1 ने सर्वप्रथम दिनांक 19.11.2015 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आपकी अपील मे तो आदेश दिनांक 31.08.2009 को ही हो चुका है तथा उक्त आदेश की आपको उच्चतर न्यायालय में कार्यवाही करनी होगी जिस पर अपीलार्थी ने उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अविलम्ब न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम चक रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 115 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 32 बीघा 6 बिस्वा के 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार सूण्डा पुत्र श्योबक्श ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.12.1996 को श्योजी पुत्र हनुमान को बेचान कर दिया, तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 05.02.1997 को स्वीकार किया गया जिसका अमल जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 में किया गया, नामान्तरकरण संख्या 22 सम्वत् 2036 से 2039 में जमाबन्दी मे अंकित नोट होते हुऐ सहवन से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबन्दी में विक्रेता सूण्डा का नाम दर्ज कर दिया गया तथा रेस्पोडेन्ड द्वारा रिकार्ड में दुरूस्त करवाने हेतु कैम्प महेशवास में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसको दिनांक 15.09.1998 को दुरूस्ती का आदेश जारी कर दिया गया इसी दौरान श्योजीराम पुत्र हनुमान ने दिनांक 08.07.1998 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दीपू पुत्र श्योजीराम नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षक नाना श्री लादूराम पुत्र कल्याण को बेचान कर दिया तथा नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 05.02.1997 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.12.1996 के आधार पर खुल चुका था फिर भी तहसीलदार आमेर द्वारा विक्रेता सूण्डा का फौती नामान्तरकरण विरासत के आधार पर बेवा अपीलान्ट भूरी देवी के नाम नामान्तरकरण संख्या 4 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा क्रय की गई भूमि तक अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य ही था तथा इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर

P.T.O.

न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार सूण्डा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या श्योजीराम पुत्र हनुमान जाट को विक्रय पत्र दिनांक 20.12.1992 को बेचान किया गया है उसके उपरान्त भी खातेदार सूण्डा के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 4 उसके बेवा भूरीदेवी के नाम विधि विरूद्ध स्वीकार किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्योजीराम पुत्र हनुमान द्वारा उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.07.1998 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बैचान किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा अथवा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया जिससे उक्त दोनों विक्रय पत्र किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषत किये गये साबित होते हो जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त दोनों विक्रय पत्र वर्तमान में भी प्रभावी व प्रचलन में है। ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किये गये नामान्तरकरण को अनुचित ठहराने के ठोस आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही थे। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2015 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कल्क्टर, चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2015 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।